प्रती;   दि० 27 सितम्बर 2011

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय

जिला कलेक्टर

कलेक्टर कार्यालय

उज्जैन (म०प्र)

विषय : सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत श्रीमान राजाराम पिता नागूलाल वैश्य के बारे मे जानकारी प्राप्त करने बाबत ।

महोदय;

मै वीरेन्द्र पिता श्रीप्रकाश गुप्ता निवासी 345, शरद नगर, तरसाली रोड बडोदरा गुजरात । श्रीमान राजाराम पिता नागूलाल वैश्य निवासी 2, मालीपूरा उज्जैन जो कलेक्टर कार्यालय उज्जैन मे सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ थे और कलेक्टर कार्यालय उज्जैन से ही "रीटायर" हुए है । मै आप से श्रीमान राजाराम पिता नागूलाल वैश्य के बारे मे कूछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हू, जिसकी सूची नीम्नलीखीत है ।

1) सन 1997 मे उनका वेतन कितना था ।

2) उनकी **JOB JOINING DATE** और **JOB RETIREMENT DATE** की जानकारी।

3) **JOB JOINING DATE** से लेकर **JOB RETIREMENT DATE** तक उनहोने कौन से जाती प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी की है (जाती प्रमाण पत्र की कापी दी जाये)।

4) कर्मचारी भविष्य निधी संगठन नंबर की जानकारी दी जाये ।

क्रपा कर यह सारी जानकारी डाक द्वारा 30 दीनो के भीतर मुझे प्रदान करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद

संलग्न :

1>गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर नं 28AA 808739 मूल्य रू 10/-

भवदीय

Gupta 27/9/2011

वीरेन्द्र पिता श्रीप्रकाश गुप्ता

345, शरद नगर, तरसाली रोड;

बडोदरा, गुजरात पिन : 390009

मो. 09824935273

ई मेल : galaxypoint_01@yahoo.co.in

कार्यालय कलेक्टर जिला–उज्जैन

क्रमांक /वित्त–3/11 / 8300 उज्जैन दिनांक 14/11/2011

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
कलेक्टर कार्यालय,
उज्जैन

विषयः–**सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जानकारी बाबत्।**

सदर्भः–आपका पत्र क्रमांक–7593, दिनांक 05.10.2011

---000---

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में श्री राजाराम वैश्य, सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड–2, द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी का प्रदाय नही किया जावें।

सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला उज्जैन

प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित [illegible] है।

लोक सूचना अधिकारी
कलेक्टोरेट जिला उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन (म.प्र.)

दूरभाष 0734–2513100, फेक्स 0734–2510878

क्रमांक / स्थापना / 2011 / 8156 उज्जैन दिनांक 02 नवम्बर 2011

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
कलेक्टारेट, उज्जैन

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी का प्रदाय – श्री वीरेन्द्र पिता प्रकाश गुप्ता ।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक / 1063 / क.उ. / सू.के.अ. / 11 / 7593 उज्जैन दिनांक 5.10.2011

—

उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । आवेदक द्वारा इस कार्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री जैन के सेवा अभिलेखों के संबंध में जानकारी चाही जा रही है । इस संबंध में आवेदक द्वारा पूर्व में भी आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये । संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा उक्त अभिलेखों को प्रदाय करने में पूर्व में आपत्ति प्रस्तुत की जाने से पूर्व में भी आवेदक को वांछित अभिलेख प्रदाय नहीं किये गये है । इस संबंध में आवेदक द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण सक्षम अपील अधिकारी द्वारा किया जा चुका है । अतः पूर्व में निराकृत आवेदन अनुसार वर्तमान में वांछित अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान की जाना संभव नहीं है ।

डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर जिला उज्जैन

प्रमाणित किया जाता है कि सत्य प्रतिलिपि है।
लोक सूचना अधिकारी
कलेक्टोरेट जिला उज्जैन

DK

प्रति दि0 11/11/2011

श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी महोदय

कार्यालय जिला कलेक्टर

जिला उज्जैन (म.प्र)

विषय : सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 27/9/2011 के संदर्भ मे जानकारी प्रदान न करने बाबत अपील।

महोदय;

मै वीरेन्द्र पिता श्रीप्रकाश गुप्ता निवासी 345, शरद नगर, तरसाली रोड बडोदरा गुजरात । मैने आप के कार्यालय मे दिनांक 27/9/2011 के रोज़ सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत आवेदन लगाया था, परन्तु आज रोज़ तक मुझे किसी प्रकार कि कोइ जानकारी या जवाब प्रदान नही की गयी है।

मै आप से अपील करता हू कि मुझे जाकारी प्रदान की जाए, और जानकारी 30 दिन के भीतर मुझे प्रदान किये जाने की क्रपा करे और जानकारी हमे डाक द्वारा ही प्रदान किये जाने की क्रपा करे।

धन्यवाद

संलग्न सूची:

1>गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर नं P 130252 मूल्य रू 50/- दिनांक 08/11/2011।

2>सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत प्रथम आवेदन दिनांक 27/9/2011 कि कापी।

3>आवेदन पत्र दिनांक 27/9/2011 के साथ भेजा गया गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर कि कापी।

भवदीय

Gupta

दिनांक : 11/11/2011

वीरेन्द्र पिता श्रीप्रकाश गुप्ता

345, शरद नगर, तरसाली रोड;

बडोदरा, गुजरात पिन : 390009

मो. 09824935273

ई मेल : galaxypoint_01@yahoo.co.in

न्यायालय कलेक्टर, जिला उज्जैन म0प्र0

प्रकरण क्रमांक–09 / अपील(सूअ) / 11.12

वीरेन्द्र पिता श्री प्रकाश गुप्ता,
निवासी 345, शरद नगर, तरसाली रोड
बडोदरा, गुजरात पिन–390009

अपीलार्थी

विरूद्ध

लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,
जिला उज्जैन

प्रत्यर्थी

आदेश

(आज दिनांक– 13 जनवरी, 2012 को पारित)

प्रस्तुत अपील सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन–पत्र इस न्यायालय में डाक के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन से लिखित में जानकारी चाही गई थी, जो उन्हें निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील आवेदन–पत्र प्रस्तुत हुआ है ।

3– अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील आवेदन–पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन की ओर भेजकर अभिमत टीप चाही गई तथा अपीलांट को भी प्रकरण में सुनवाई के लिये उपस्थिति की सूचना दी गई ।

4– प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण में नियत पेशी पर शाखा प्रभारी अधिकारी स्थापना / वित्त शाखा कलेक्टोरेट उज्जैन की ओर से बिन्दुवार तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किया । प्रकरण में प्रस्तुत जवाब की एक प्रति अपीलार्थी स्वयं को भी दी गई । लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में प्रकट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह तृतीय पक्ष से संबंधित है तथा उसका संबंध व्यक्तिगत सूचना से है ।

5– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की उपधारा–8(1) की कडिका–(जे)– में स्पष्ट उल्लेखित है कि–"सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंध रखती है और उसके प्रकटीकरण से किसी लोक गतिविधि अथवा लोक हित का कोई संबंध नहीं है अथवा जो व्यक्तिगत गोपनीयता / एकान्तता पर अनपेक्षित / अवैध आक्रमण का कारण बनेगी जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी प्राधिकारी, यथास्थिति इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते है या उनका समाधान हो जाता है कि विशाल लोक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न्यायोचित है । इससे स्पष्ट है कि कोई भी लोक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत सूचना देने के लिये बाध्य नहीं है । यदि उसका संबंध किसी लोक कार्यवाही या लोकहित से नहीं हो । इस प्रकरण में श्री राजराम वैश्य, सेवा निवृत कर्मचारी तृतीय पक्ष है और उन्होंने इस प्रकार की जानकारी देने के संबंध में लिखित में आपत्ति की है ।

6– अतएव प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो जानकारी अपीलार्थी द्वारा मांगी है, वह तृतीय पक्ष से संबंधित है और व्यक्तिगत है । लोक सूचना अधिकारी किसी की व्यक्तिगत जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं है, यदि उसमें लोकहित या लोक क्रियाकलाप सन्निहित नहीं है । इस प्रकरण में अपीलार्थी ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि उसे जो जानकारी मांगी है वह लोकहित अथवा लोक क्रियाककलापों से संबंधित है । अपीलार्थी मौखिक सुनवाई के समय न्यायालय में अनुपस्थित रहा ।

कलेक्टर
जिला-उज्जैन

प्रकरण क्रमांक–09/अपील(सूअ)/11.12

इस प्रकरण में मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है और जिस व्यक्ति से संबंधित है उसने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की है । लोक सूचना अधिकारी इस प्रकार की जानकारी अधिनियम की धारा 8(1) (जे) के प्रावधानों के अंतर्गत देने के लिये बाध्य नहीं है ।

7– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलांट का अपील आवेदन–पत्र निराकृत किया जाता है । अपीलांट को म0प्र0सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम,2005 की धारा 7 (4) के अंतर्गत आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदाय करने के आदेश दिये जाते हैं ।

आ.क्र. 21
23/01/12

(डॉ0एम0गीता)
कलेक्टर,
जिला उज्जैन

प्रतिलिपि–

1– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

2– वीरेन्द्र पिता श्री प्रकाश गुप्ता, निवासी 345, शरद नगर, तरसाली रोड, बडोदरा गुजरात पिन–390009

(9)

कलेक्टर,
जिला उज्जैन